

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर०ए०एस०)

पत्रावली संख्या : 02/2022 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

जसराम पुत्र बसंताराम जाट उम्र 28 वर्ष, (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स त्रिलोक डेयरी, हिण्डौन रोड, ग्रा० कारवारी तहसील बयाना जिला भरतपुर निवासी ग्रा० नगला हरसुख पो० नाहरा चौथ तहसील डीग जिला भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii), 26(2)(v)/51 एवं 58 एफएसएस एक्ट 2006
रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 11.02.2022

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii), 26(2)(v)/51 एवं 58 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 27.12.2021 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 11.02.2022 को गैरसायल उपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप दिनांक 14.09.2021 को दोपहर बाद 02.00 बजे गैरसायल की डेयरी मैसर्स त्रिलोक डेयरी, हिण्डौन रोड, ग्राम कारवारी तहसील बयाना का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त डेयरी पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु एक कोल्ड बॉक्स में करीब 2.5 किग्रा० वजनी की बट्टी के रूप में कुल 5 बट्टी पनीर (कुल

बजन करीब 12.5 किग्रा0) रखी हुई पाई गई। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/150/एक्ट/2021/179 दिनांक 21.09.2021 द्वारा उक्त पनीर का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पनीर विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii), 26(2)(v)/51 एवं 58 का उल्लंघन किया गया है।

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की दुकान मैसर्स त्रिलोक डेयरी, हिण्डौन रोड ग्राम कारवारी तहसील बयाना से पनीर की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण भरतपुर की जांच रिपोर्ट में अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त पनीर के निर्माण में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। उक्त पनीर की जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर अवमानक स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रुटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल की यह प्रथम गलती है जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडैक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायल की यह प्रथम गलती है इसलिये गैरसायल के प्रति नरमरूख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 14.09.2021 को दोपहर बाद 02.00 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की डेयरी पर आम जनता के विक्रय हेतु पनीर करीब 12.5 किग्रा0 रखा हुआ पाया गया। खाद्य विश्लेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/150/एक्ट/2021/179 दिनांक 21.09.2021 के द्वारा उक्त पनीर का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food)

प्रकृति का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार Milk fat content of the dry matter का मानक Not less than 50.0% होना चाहिये था परन्तु इसका मानक 45.68% पाया गया

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर
केशव कुमार गोयल बनाम जसराम
प्रार्थना पत्र (खा0सु0) संख्या 02/2022

है जो निर्धारित मानक से कम है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल से वक्त जांच खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन चाहा गया जो उपलब्ध नहीं कराया गया। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 एवं 58 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 10000/-रूपये (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।


(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर